न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA2015-00038Ju2015-33 Smt. Ailchee Vs Smt. Sajana etc

श्रीमती एलची पत्नी सुखराम, जाति विश्नोई, निवासी- जांगू बाना की ढाणी (जालोड़ा) तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती सजना पुत्री श्री हरजीराम पत्नी श्री मालाराम, जाति विश्नोई, निवासी मोडकिया, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2. श्रीमती सुवटी पुत्री श्री हरजीराम, पत्नी श्री सुरताराम, जाति विश्नोई, निवासी- मटोलचक (ढढू) तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. जगमालराम पुत्र श्री हरजीराम
4. फौजाराम पुत्र श्री हरजीराम (फौत) के कायम मुकामः -
   4.1. माधाराम पुत्र स्व. फौजाराम
   4.2. भंवरलाल पुत्र स्व. फौजाराम
5. बागाराम पुत्र हरजीराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- जांगू बाना की ढाणी,(जालोड़ा) तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 31 जुलाई 2013 राजस्व वाद संख्या 56/2011 सजना व अन्य बनाम जगमालराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01 व 02

नि र्ण य

दिनांक : 20 सितंबर 2023

20/9/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/2011 सजना व अन्य बनाम जगमालराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2013 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 22 मई 2015 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश कर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 261 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 262 रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा ग्राम जांगू बाना तहसील लोहावट में क्रमशः 1/5-1/5 हिस्से की खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय दिनांक 31 जुलाई 2013 के जरिये वादी स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय पारित की है। प्रत्यर्थी संख्या चार द्वारा विवादित

20/9/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि में सें जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के भूमि को अपीलार्थीनी को बेचान कर दिया था, जिस बैचाननामे को निरस्त करवाये बिना राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है। प्रत्यर्थी संख्या एक व दो द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा बिना कब्जे के वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रह जाता है। वादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। स्व. हरजीराम की अन्य खसरों की भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बेचान की गई भूमि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अपने खातेदारी की भूमि होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण रिकॉर्ड जॉच किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। दिनांक 19.05.2015 को प्रत्यर्थीगण ने मौके पर आकर अपीलार्थीनी को धमकी देने तथा अपने पक्ष में निर्णय होने की बात कहने पर अपीलार्थीनी द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त की तथा जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे तथा अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 जुलाई 2013 को निरस्त

20/8/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जावे तथा मामले को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाकर नियमानुसार निस्तारित किये जाने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या चार को अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेंचान करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर विधिसम्मत डिक्री एवं निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक अपीलांट को जारी सम्मन बिना चस्पानगी आदेश के अपीलांट के मकान पर चस्पानगी रिपोर्ट के साथ विचारण न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर अपीलांट की तामील मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, सम्मनों की चस्पानगी अधीनस्थ न्यायालय के किसी आदेश के बिना ही की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में सम्मनों की सीपीसी के प्रावधानानुसार समुचित व सम्यक तामील नहीं हुई। लिहाजा न्याय हित में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में किये गये कथनो पर विश्वास करते

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए प्राथना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांके 28.02.2011 के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 262 रकबा 28.11 बीघा के 1/3 हिस्से के खातेदार फौजाराम पुत्र हरजीराम द्वारा अपना संपूर्ण 1/3 हिस्सा अपीलांट को विक्रय किया गया है, जिससे अपीलांट वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 262 में 1/3 हिस्से की रेकर्डेड खातेदार है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 617 दिनांक 06.06.1989 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 261 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 262 रकबा 28.11 बीघा सहित अन्य भूमियॉ खसरा नं. 257 रकबा 36.5 बीघा एवं खसरा नं. 281 रकबा 25.19 बीघा भी स्व. हरजीराम पुत्र लाखाराम के नाम रही है। हरजीराम के देहांत के बाद जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 617 दिनांक 06.06.1989 को उक्त आराजीयात जगमालराम, फौजाराम व बागाराम पिता हरजीराम के नाम दर्ज की गयी। जिसके करीब 22 साल बाद वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा अपने वाद में उक्त भूमियो को सम्मिलित किये बिना केवल रेस्पोडेंट संख्या चार द्वारा बेचान की गई भूमि के संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रथमदृष्टया यह साबित होता है कि वादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आये है।

खसरा नं. 262 में प्रत्यर्थी संख्या चार द्वारा अपने पुश्तैनी 1/5 हिस्से से अधिक 1/3 हिस्सा जो अपीलांट को बेचान किया गया जिसमें वादीगण के निहित 1/5-1/5 हिस्से की क्षतिपूर्ति स्व.

20/8/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हरजीराम की खातेदारी की अन्य भूमि खसरा नं. 257 एवं 281 में से प्रत्यर्थी संख्या चार फौजाराम के हिस्से को कम करके की जा सकती है। किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों नजर अंदाज करते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है जो **अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।**

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप अपीलांट पर सम्मनों की विधिवत तामील किये बिना, उन्हें अवसर प्रदान किये बिना, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/2011 सजना व अन्य बनाम जगमालराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31 जुलाई 2013 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि वादीगण अपने वाद को संशोधित करते हुए स्व. हरजीराम के नाम दर्ज रही सभी खसरान् की भूमि को वाद में शामिल करे तथा साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में **उभय पक्ष से जवाब लेते हुए,** बाद जवाब तनकीयात कायम की जाकर, पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए **तनकीवार निष्कर्ष पारित कर प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय**

20/8/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किया जावे। नियमानुसार प्रत्यर्थी संख्या चार द्वारा अपने पुश्तैनी हिस्से से अधिक वादीगण के हिस्से की बेचान की गई भूमि की भूमि की क्षतिपूर्ति प्रत्यर्थी संख्या चार के अन्य खसरान् में दर्ज हिस्से से की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/3/23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर